न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 65 / 2021 दायर दिनांक–20.09.2021

1. प्रभाती देवी पुत्री सुरजाराम स्त्री रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. ताराचन्द पुत्र श्यामाराम जाति मेघवाल निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल जरिये शाखा प्रबंधक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री लोकेश कुमार
वकील अनावेदकगण :– श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत

प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक–30.01.23

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम जाखल की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 19 रकबा 4 बीघा 4 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 1.19 है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि स्व0 सुरजाराम द्वारा छोड़ी गई पैतृक भूमि है, स्व0 सुरजाराम को उक्त भूमि अपने पिता नेतराम से विरासत में प्राप्त हुई थी। स्व0 नेतराम की वंशावली निम्न प्रकार है:– नेतराम के तीन पुत्र सरजाराम, मांगु व श्यामाराम हुये। मांगु कुंवारा फौत हो गया, उसके बाद नेतराम के हिस्से की भूमि उसके दोनों पुत्र सुरजाराम व श्यामाराम के हिस्से में आई। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि सुरजाराम के हिस्से में आई, जिस पर सुरजाराम अपने जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहा था। सुरजाराम के एक मात्र पुत्री संतान प्रभाती देवी हुई। सुरजाराम के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि पर उसकी वारिस प्रभाती देवी प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि पर काबिज काश्त हुई। जो कि वर्तमान तक काबिज काश्त है, लेकिन मनीया पुत्र श्यामाराम ने षडयंत्रपूर्वक अपने आप को सुरजाराम का दत्तक पुत्र बता कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्णित भूमि में अपने आपको एकमात्र वारिस बताकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया और आवेदिका प्रभाती देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने नही दिया। मनीया के लाऔलाद फौत होने पर अनावेदक नं0 1 ताराचन्द ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को गलत सूचना देकर अपने आप को सुरजाराम का दत्तक पुत्र बताकर उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जरिये नामान्तकरण संख्या 274 से अपने नाम से दर्ज करवा लिया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर आवेदिका कब्जा काश्त है तथा सुरजाराम की वारिस होने के नाते आवेदिका ही उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदार काश्तकार है, जिसको वह बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करती है व काबिज है। इसलिये आवेदिका को उपरोक्त प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक है। अब आवेदिका को अनावेदक नं0 1 ने आवेदिका की कब्जेशुदा व काश्तशुदा खेत पर आकर ऐलानियां धमकी दी कि वह आवेदिका को उसको उत्तराधिकार मे प्राप्त कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन बेदखल करेगा तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर उक्त भूमि को अन्य बेनामा [illegible] उसके कब्जे व काश्त की भूमि पर फसल काश्त करने नही देगा। फसल काटने व लाटने नही [illegible] और [illegible]दिका को ऐलानियां धमकी दी कि अगर उसने अनावेदक को रोकने का प्रयास किया तो उसे जान [illegible] कर देंगे। अगर अनावेदक ने आवेदिका की कब्जे व काश्त की भूमि पर से आवेदिका को [illegible] कर जबरन कब्जा कर [illegible] विवादित भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर जबरन कब्जा कर उक्त भूमि को वि[illegible] हस्तांतरण कर दिया तो आवेदिका की सख्त हकतलफी होगी, जिसकी पूर्ति नकदी या किसी अन्य सूरत में संभव नही होगी। इसलिये अनावेदक नं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह विवादित भूमि पर जबरन कब्जा ना करे, आवेदिका को विवादित खेत में फसल काटने लाटने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

न रोके तथा भूमि की किस्म परिवर्तित ना करें। विवादित भूमि को विक्रय कर अन्य हस्तान्तरण ना करे। ऐसा कोई कृत्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि से ना करावें जिससे आवेदिका के हकों पर विपरीत असर पड़े। विवादित भूमि की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित न्यायालय आये तथा अनावेदक ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :–

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदिका ने बहुत ही कमजोर आधारो पर उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें आवेदिका को सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड की भूमि रास्व ग्राम जाखल में खसरा नम्बर 57 रकबा 1.19 है0 स्थित होना स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस तरह झूठी बनाकर दर्ज की गई है, अस्वीकार है। आवेदिका का यह कहना कि वर्णित भूमि स्व0 नेतराम की भूमि थी तो स्वीकार है लेंकिन प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशावली गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 अस्वीकार है। नेतराम के तीन पुत्र सुरजा, मांगू व श्यामा हुए यह स्वीकार है। मांगू कुंवारा फौत हुआ तथा उसके दोनों जीवित पुत्रों के वर्णित भूमि हिस्से में बराबर बराबर आई यह स्वीकार है। लेकिन यह कहना कतई गलत है कि वर्णित भूमि अकेले सुरजा के हिस्से में आई हो व जीवन पर्यन्त उस पर काबित रहा है बल्कि दोनों भाई ही काश्त करते थे, प्रार्थना पत्र की वर्णित धारा में आगे की शेष बाते तो सरासर झूठ व मनगढ़त व वाद को आधार बनाने वास्ते र्द की गई है। जैसे आवेदिका सुरजाराम की एक मात्र पुत्री होना सुरजाराम के फौत होने पर आवेदिका उक्त भूमि पर काबिज़ होना और आज तक काबिज रहना कतई गलत है व पूर्णतया अस्वीकार है। आवेदिका का यह कहना भी गलत है व अस्वीकार है कि मनीया पुत्र श्यामाराम ने अपने को सुरजा का दत्तक पुत्र बताकर अपना नाम षडयंत्रपूर्वक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया हो बल्कि सही बात यह है कि चूंकि सुरजाराम निःसंतान था व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मनीया जो श्यामा का पुत्र था को सुरजा का दत्तक पुत्र बनाया गया था व उसी आधार पर ही तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने सही नाम दर्ज किया था तथा इसी तरह जब मनीया भी निःसंतान फौत हो गया तो तत्कालीन राजस्व नियमों के आधार पर ही राजस्व कर्मचारियों ने पूर्ण जांच करते हुये अनावेदक नं0 1 को वर्णित भूमि का खातेदार दर्ज किया वैसे भी वह काश्तकार तो पूर्व से ही था व आजज तक भी वर्णित भूमि का काश्तकार है तथा जबाबदेहन्दा के पक्ष में भरा गया नामान्तकरण संख्या 274 सही है। वर्णित भूमि पर न तो आवेदिका का कभी कब्जा काश्त रहा नही उक्त भूमि के संबंध में कभी हक अधिकार आवेदिका को प्राप्त हुये। चूंकि आवेदिका न तो सुरजाराम की वारिस है न ही उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है बल्कि सही बात तो यह है कि प्रभाती श्यामा की जायन्दा पुत्री है, श्यामा ने ही उसका विवाह किया था व आज तक सभी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेवारियां ताराचन्द ही निभाताा आ रहा है, क्योंकि वह ही उस परिवार का एक मात्र जबाबदेही जीवित है व समाज परिवार में रहता है, शेष बाते मनगढन्त, झूठी जमीन को हड़पने की नियत से दर्ज की है, इसलिये ऐसे वाद/ प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारीज करने की प्रार्थना जबाबदेहन्दा करता है। प्रार्थना पत्र की धारा 5 अस्वीकार है। जबाबदेहन्दा ने न तो कोई धमकी दी, न ही लम्बे समय से आपस में कोई मिलना जुलना हुआ है तथा आवेदिका का यह कहना कि उक्त भूमि पर जबाबदेहन्दा कब्जा करेगा, फसल काश्त नही करने देगा, जान से मार देगा, उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण आदि करेगा सभी बाते बोगस झूठी व वाद का आधार बनाने बाबत दर्ज की गई है। वर्णित भूमि का जबाबदेहन्दा आज भी काबिज खातेदार काश्तकार है, अपनी भूमि को लाटता बांटता है इसलिये ऐसे काबिज खातेदार काश्तकार के खिलाफ न तो कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, न ही आधार है, इसलिये प्रार्थना पत्र इसी स्टैज पर खारीज फरमांया जावे। प्रार्थना पत्र की धारा 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि सुरजाराम की खातेदारी में सम्वत 2014 तक रही उसके बाद न तो सुरजाराम की खातेदारी में रही [illegible] काश्तकारी में रही बल्कि सही बात यह है कि सुरजा के फौत होने के बाद पहले वर्णित भूमि [illegible] खातेदारी में व श्यामा के काश्तकारी में रही है, प्रभाती का तो कभी उक्त भूमि से [illegible] इसलिये आवेदिका अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की कतई अधिकारिणी नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र इसी स्टैज पर खारीज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र की धारा 7 अस्वीकार है। व[illegible] धारा में आवेदिका ने सभी बाते गलत व वाद को आधार बनाने बाबत दर्ज की है, जिसका कानूनी कोई महत्व नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का आवेदिका से कभी संबंध नही रहा, चूंकि आवेदिका की वर्तमान उम्र करीब 82 वर्ष है, आवेदिका जबाबदेहन्दा की बहिन है, जिसकी स्वयं की उम्र 62 वर्ष है, ऐसे वाद को न्यायालय में लाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (प्रा. द्वे.)
नवलगढ

आधार लालच मे आकर पैदा किया गया है न तो कभी उक्त भूमि पर काश्त की , न ही उक्त भूमि की आवेदिका को जानकारी है, जबाबदेहन्दा की जानकारी में आया है कि आवेदिका प्रभाती का पोता जो भूमाफिया के सम्पर्क में रहता है व विवाद पैदा कर रूपये ऐंठने की नियत है, झूठी अंगूठा निशानी करवाकर उक्त वाद पेश करवाया है जिसका न तो कानूनी आधार है न ही आवेदिका की पूर्णतया जानकारी में है। आवेदिका की शादी हमारे पिता श्यामा ने की थी व उसके बाद सभी जिम्मेदारिया भात छुछक वगैरा समय–समय पर जबाबदेहन्दा द्वारा ही करवाया जाता रहा है व जिम्मेदारियां निभाता रहा है। कानूनी रूप से भी उक्त वाद को देखा जाये तो राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 274 सम्वत 2029–30 में भरा गया, जिसको करीब 48 वर्ष हो गये जिसके आधार पर जबाबदेहन्दा की खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये व उक्त भूमि पर कब्जा काश्त पूर्व से ही था तो आवेदिका को यदि हक अधिकार होता तो न्यायालय में आना चाहिये था जो स्पष्ट हो जाता है कि आवेदिका जायन्दा पुत्री किसकी है व उक्त नामान्तरण की न तो इस लम्बे अन्तराल मे व न ही प्रस्तुत वाद में चैलेंज किया है, इसलिये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र इसी स्टैज पर खारीज फरमाया जावें। नामान्तकरण संख्या 274 भरते समय राजस्व कर्मचारियों ने जांच करते हुये नामान्तकरण में यह इन्द्राज किया है कि सुरजा के कोई अन्य वारिस नही है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रभाती सुरजा की वारिस ही नही थी। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदिका का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

जवाब देही बंद होने के पश्चात बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील आवेदक व अनावेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। दस्तावेजों एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाके ग्राम जाखल की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 19 रकबा 4 बीघा 4 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 1.19 है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है जिसमें हिन्दु उताधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी वारिसो का हक हकूक होता है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– वाके ग्राम जाखल की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 19 रकबा 4 बीघा 4 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 1.19 हैक्टर अवस्थित है, जो पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक भूमि है, जो आवेदक व अनावेदकगण की कब्जे काश्त की शामलाती भूमि है जो स्वर्गीय नेतराम के वारिसान होने के कारण से प्राप्त हुई। उपरोक्त आराजियात में आवेदक व अनावेदकगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है, जिसमें सभी का शामलाती रूप से भूमि में हिस्सा है तथा हिस्सेनुसार ही कब्जा काश्त है। पैतृक सम्पति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत सभी वारिसों का हिस्सा निहित रहता है। अतः विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से आवेदक एव अनावेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है

1. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त आवेदक की होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।

2. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जाखल की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 19 रकबा 4 बीघा 4 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 1.19 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति [illegible] हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 20.09.2021 को पुष्ट कि[illegible] पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. (दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़